REGD, NO. D. L.-33004/99



HRGazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] No. 310]

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2006/चैत्र 9, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2006/CHAITRA 9, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड्क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

का. आ. 464(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग 86 के लेबाद-नयागांव सेक्शन [1 कि.मी. से 24 कि.मी.-लेबाद नागदा सड़क, 1 कि.मी. से 69 कि.मी.–नागदा रतलाम सड़क, 1 कि.मी. से 35 कि.मी. (जावरा के समीप), रतलाम–नयागांव सड़क, 36 कि.मी. (जावरा के समीप) से 79 कि.मी. और रतलाम–नयागांव सड़क के 94 कि.मी. से 155/0 कि.मी. जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 का (मंदसौर बाईपास) और भोपाल–देवास सेक्शन (भोपाल स्थित रा.रा.–12 के साथ जंक्शन–6/6 कि.मी. से 153 कि.मी.–देवास स्थित रा.रा.–3 के साथ जंक्शन) का 147.60 कि.मी.] के 247.47 कि.मी. का और उक्त अधिनियम की अपनी अनुसूची के क्रम सं. 67 और 68च के सामने उससे संबंधित प्रविष्टियों का उक्त अनुसूची से लोप करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/2/06-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 254(अ), तारीख 25 फरवरी, 2004 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई।

982 GI/2006

(1)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2006

S. O. 464(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits 247.47 kms. of Lebad-Nayagaon section [(km. 1 to 24—Lebad Nagda Road, km. 1 to 69—Nagda Ratlam Road, km. 1 to 35 (Near Jawra) of Ratlam Nayagaon Road, km. 36 (Near Jawra) to 79 and km. 94 to 155/0 of—Ratlam-Nayagaon Road, including (Mandsour Bypass) of National Highway No. 79 and 147.60 km of Bhopal-Dewas section (km 6/6-Junction with NH-12 at Bhopal-to km. 153–junction with NH-3 at Dewas)] of National Highway No. 86 and the entries relating thereto specified against serial number 67 and 68F respectively in the Schedule to the said Act from the said Schedule.

[F. No. NH-14013/2/06-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot note: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended vide notification number S.O. 254(E), dated the 25th February, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

का. आ. 465(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 अगस्त, 2005 में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	अनुसूची	
क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [60.000 कि.मी. से 103.000 कि.मी. तक (राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से ग्वालियर) और 319.700 कि.मी.	मध्य प्रदेश राज्य सरकार।'';
	से 332.100 कि.मी. तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [544.000 कि.मी. से 651.000 कि.मी. (लखनाडोन से	
	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग	
	सं. 12, 12क, 27, 59, 69 और सं. 75 [0.000 कि.मी. से 90.000 कि.मी. (ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा)	
wa ta Kango na sila	को छोड़कर], और सं. 76 [0.000 कि.मी. से 30.000 कि.मी. (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर], राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं. 78, 86 6/6 कि.मी. से 153 कि.मीभोपाल देवास संक्शन को छोड़कर) और सं. 92 के उतने भाग जो मध्य प्रदेश	
	सक्शन का छाड़कर) जार स. 92 के उतन नान जा मध्य प्रदेश राज्य के भीतर और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59क पर स्थित है।	

[फा. सं. एनएच-14013/2/2006-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें का.आ. सं. 1398(अ), तारीख 27 सितंबर, 2005 और का.आ. सं. 1584(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2005 द्वारा संशोधन किए गए। [भाग II—खण्ड 3(ii)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2006

S. O. 465(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 4th August, 2005 namely :—

SCHEDULE

Serial number	Description of National Highway	Name of the State Government
"13	So much of National Highway No. 3 [excluding from	State Govt. of Madhya
	km. 60.000 to km. 103.000 (Rajasthan/Madhya Pradesh	Pradesh.";
•	Border to Gwalior) and from km. 319.700 to km. 332.100],	
	National Highway No. 7 [excluding from km. 544.000 to	
t	km. 651.500 (Lakhnadon to Madhya Pradesh/Maharashtra	
	Border)], National Highway Nos. 12, 12A, 27, 59, 69 and	
	No. 75 [excluding from km. 0.000 to km. 90.000 (from	
	Gwalior to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border)], and	
	No. 76 [excluding from km. 0.000 to km. 30.000 (Madhya	
	Pradesh to Rajasthan Border to Shivpuri)], National	
	Highway Nos. 78, 86 (excluding km. 6/6 to km. 153-Bhopa	1-
	Dewas Section) and No. 92 as are situated within the State	
	of Madhya Pradesh and National Highway No. 59A.	

[F. No. NH-14013/2/2006-P&M]

3

Foot note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and subsequently amended vide number S.O. 1398(E), dated the 27th September, 2005 and No. S.O. 1584(E), dated 10th November, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

PRABHAKAR, Dy. Secy.